कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 25/03/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 24.03.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष के कारावास व 25000-25000 के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। '

दिनांक 24.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना मरदह जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 738/2017 धारा 376, 506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट, 3(2)5 ScSt Act से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 1. शशि चौहान पुत्र मारकण्डेय चौहान 02. अमित चौहान पुत्र रामनाथ चौहान निवसीगण ग्राम बोगना झम्मन का पुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में दण्डनीय अपराध के लिए 10-10 वर्ष के कारावास व 25000-25000 के अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

02. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। '

दिनांक 24.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1037/2016 धारा 419,420,504,506 भादवि व 3(1) द,ध एवं 3(2), 5A Sc/St Act से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त राजेश यादव उर्फ लल्लन सिंह यादव पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह यादव निवासी अइलखपुर सद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 419 भादवि में 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड व धारा 420 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

03. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा-न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा।

दिनांक 24.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करण्डा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 208/1997 धारा - 379,506,411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त प्रदीप कुमार दुबे पुत्र राम जी दुबे निवासी गोशंदेपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को धारा 411 भादवि में 1000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 500/- रुपये व धारा 379 में 1000 /- रुपये कुल 2500 /- रुपये के अर्थदण्ड एवं जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर